रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249699
CG-DL-E-26102023-249699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4483] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2023/कार्तिक 3, 1945
No. 4483] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2023/KARTIKA 3, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4669(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और (vii), धारा 6 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (ग) और (घ), धारा 8, धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) में, -

(क) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ग) "बैटरी से संचायक सहित नया या नवीकृत सेल या बैटरी अभिप्रेत है, जो रासायनिक ऊर्जा से प्रत्यक्ष संपरिवर्तन द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा का कोई स्रोत है और जिसमें निपटान योग्य प्राथमिक या द्वितीय बैटरी सम्मिलित है।";

(ख) खंड (घ) में, उप-खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(iii) बैटरी या बैटरी को सन्निविष्ट करने वाले उपकरण का आयात; या

(iv) अपने स्वयं के ब्रांड नाम के बिना उप-खंड (ii) में उल्लिखित उत्पादक को बिक्री के लिए उपकरण में सम्मिलित बैटरी या नवीनीकृत बैटरी का विनिर्माण या संयोजन करना;"।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में, -

(क) उप-नियम (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"(1) प्रत्येक उत्पादक की बाजार में उपलब्ध कराई गई बैटरी और स्वयं उपयोग के लिए रखी गई बैटरी के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता होगी जिससे अनुसूची 2 के अनुसार पुनर्चक्रण या नवीनीकरण दायित्वों को सुनिश्चित किया जा सके;

(2) प्रत्येक उत्पादक की बैटरी या बैटरी पैक के विनिर्माण या संयोजन या आयात के दौरान उत्पन्न पूर्व-उपभोक्ता अपशिष्ट बैटरी के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन का दायित्व होगा और प्रत्येक उत्पादक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उत्पन्न पूर्व-उपभोक्ता अपशिष्ट बैटरी के संबंध में प्ररूप 3 में वार्षिक रिटर्न फाइल करेगा।

(2क) प्रत्येक उत्पादक को बाजार में उपलब्ध कराई गई बैटरी या बैटरी पैक के लिए अनुसूची II में यथाउल्लिखित संग्रहण और पुनर्चक्रण और नवीनीकरण लक्ष्यों को पूरा करना होगा, जिसमें वह बैटरी भी सम्मिलित है जिसे वे स्वयं उपयोग के लिए रखते हैं।";

(ख) उप-नियम (4) और (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"(4) प्रत्येक उत्पादक को प्ररूप 1 (क) में ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना होगा।

(5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्पादक के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसे उत्पादक को प्ररूप 1(ख) में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा जो रद्द किए जाने या वापस लेने तक वैध होगा।" ;

(ग) उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(6) प्रत्येक उत्पादक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकरण में अंतर्विष्ट जानकारी में किसी भी परिवर्तन के बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।

(6क) यदि उत्पादक अपने प्रचालनों को बंद कर देता है, तो उत्पादक को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रचालन बंद होने तक बाजार में पहले से उपलब्ध कराई गई बैटरियों के संबंध में अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा।";

(घ) उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(7) उत्पादक प्रत्येक वर्ष के 30 जून की तारीख को या उससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 1 (ग) में पिछले वित्तीय वर्ष में विनिर्मित या संयोजित या आयातित बैटरी के संबंध में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।";

(ड.) उप-नियम (8) का लोप किया जाएगा;

(च) उप-नियम (15) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(16) उत्पादक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैटरी या सम्मिलित बैटरी पैक के धारणीय उत्पादन के लिए उपाय करेगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 8 में, उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(4) अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण में सम्मिलित इकाई द्वारा प्रसंस्कृत अपशिष्ट बैटरी का कुल वजन, तिमाही आधार पर, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों को तैयार करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 9 में, -

(क) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(4) अपशिष्ट बैटरी के पुनर्चक्रण में सम्मिलित इकाई द्वारा प्रसंस्कृत अपशिष्ट बैटरी का कुल वजन, तिमाही आधार पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।";

(ख) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(5) नवीकरणकर्ता इन नियमों के अधीन आज्ञापक बनाए गए रजिस्ट्रीकरण के बिना किसी अन्य इकाई के साथ त्यौहार नहीं करेगा।"

6. उक्त नियमों के नियम 10 में, -

(क) उप-नियम (2) में, "श्रेणी-वार अपशिष्ट बैटरी के लिए होंगे और इनमें इकाई का जीएसटी डेटा सम्मिलित होगा" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथाविहित सुसंगत प्राचलों पर आधारित प्रवर्ग-वार अपशिष्ट बैटरी के लिए होंगे" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (3) में, "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था करेगा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (4) और (5) का लोप किया जाएगा;

(घ) उप-नियम (6) में, 'अपशिष्ट बैटरी के बदले में' शब्दों के स्थान पर, "उनकी विस्तारित उत्पादक दायित्व बाध्यताओं को पूरा करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(ड.) उप-नियम (7) और (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"(7) पुनर्चक्रणकर्ता या नवीकरणकर्ता के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, यथास्थिति प्रसंस्कृत या नवीनीकृत अपशिष्ट बैटरी के वजन और उत्पादित बैटरी सामग्री के वजन के आधार पर तैयार किया जाएगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्रमाणपत्र प्रसंस्कृत या नवीनीकृत अपशिष्ट बैटरी के आधार पर जारी किया जाए।

(8) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के अधीन आयातित अपशिष्ट बैटरी के पुनर्चक्रण या नवीनीकरण के लिए कोई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र तैयार नहीं किया जाएगा और आयातित अपशिष्ट बैटरी के पुनर्चक्रण या नवीनीकरण के लिए अलग लेखांकन रखा जाएगा और रिपोर्ट किया जाएगा।";

(च) उप-नियम (9) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(9) किसी प्रवर्ग में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का उपयोग केवल उसी प्रवर्ग की बैटरी के लिए ऑफ-सेटिंग, अग्रनयन और विक्रय के लिए किया जा सकता है।";

(छ) उप-नियम 14 के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(15) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के विक्रय और क्रय के लिए मान्यता प्राप्त अभिकरण के माध्यम से और केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार एक या अधिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित किए जा सकेंगे।

(16) बाध्य इकाईयों के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए उप-नियम 15 केअधीन इस प्रकार स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का प्रचालन और विनियमन, इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(17) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन करने की लागत और प्रवृत्त पर्यावरणीय प्रतिकर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक छह मास में या आवश्यकतानुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के लिए उच्चतम और न्यूनतम कीमत तय करेगा।

7. उक्त नियमों के नियम 11 में, -

(क) उप-नियम (3) में, "जाएगा" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"और दो सप्ताह की उक्त अवधि की समाप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण किया हुआ समझा जाएगा, यदि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इनकार नहीं किया गया है।";

(ख) उप-नियम (4) और 5 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"(4) उत्पादक का रजिस्ट्रीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रद्द किए जाने या वापस लेने तक वैध रहेगा।

(5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्पादक के संबंध में सभी सुसंगत जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साझा करेगा।";

(ग) उप-नियम (6) का लोप किया जाएगा;

(घ) उप-नियम (9) का लोप किया जाएगा;

(ड.) उप-नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्

"केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण की पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं के लिए और इन नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों जारी करेगा।"

(च) उप-नियम (21) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(21) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सूचना अंतर्विष्ट करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य, अपशिष्ट बैटरी के पुनर्चक्रण और नवीनीकरण, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की तैयारी और विनिमय और पर्यावरणीय प्रतिकर का संग्रह तथा उपयोग सम्मिलित हैं, और उस रिपोर्ट को केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।";

(छ) उप-नियम (24) में, "नियम 10 के उप-नियम (4) के बाबत" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 14 में, उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(6) केंद्रीय सरकार इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमों और कार्य-रीतियों के अधीन उत्पादक, पुनर्चक्रणकर्ता और नवीनीकरणकर्ता द्वारा इन नियमों के अधीन रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा में नौ मास तक शिथिल कर सकेगी।"

9. उक्त नियमों के नियम 15 में, उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -,

"(6) समिति छह महीने में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।"

10. उक्त नियमों की अनुसूची-I में, -

(क) पैरा 1 में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ii) केवल वही पोर्टेबल बैटरी जिसमें वजन के हिसाब से 0.002% (20 पीपीएम) तक कैडमियम हो, लगाई जाएगी;";

(ख) पैरा 2 में, खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ik) उत्पादक, 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्पादित सभी बैटरी या बैटरी पैक नियम 4 के अधीन जारी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ समुचित रूप से चिह्नित हैं।"

11. उक्त नियमों की अनुसूची II में, -

(क) खंड (v) में, शब्द "संग्रह की भी" शब्दों के स्थान पर, "आवंटित लक्ष्य के अनुसार संग्रह की" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) खंड (x) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(x) केंद्रीय मोटर वाहनयान नियम, 1989 के अधीन यथापरिभाषित ई-रिक्शा, प्रवर्ग एल 5, एल 5-एम, एल 5-एन, ई-कार्ट सहित तीन पहिया वाहनयानों की इलेक्ट्रिक वाहनयान बैटरी के लिए, बाध्यकारी अपशिष्ट बैटरी संग्रहण, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

तालिका

क्र.सं.	**अनुपालन चक्र**	**वर्ष**	**अनिवार्य अपशिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और संग्रह लक्ष्य के नवीनीकरण या पुनर्चक्रण का 100% (भार)**	**अनिवार्य अपशिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और हर सात वर्ष के चक्र की अवधि के लिए 100% नवीनीकरण और / या पुनर्चक्रण लक्ष्य (भार)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)	2026-27 से 2032-33 तक	2026-2027	वर्ष 2021-22 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%	सात वर्ष के अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी गई बैटरी हेतु सात वर्ष की अनुपालन चक्र (7वें वर्ष के अंत) के अंत तक अपशिष्ट बैटरी का 100% संग्रहण और इसका 100% नवीनीकरण या पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा। तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष के बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
(ii)		2027-2028	वर्ष 2022-23 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%	
(iii)		2028-2029	वर्ष 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%	
(iv)		2029-2030	वर्ष 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%	
(v)		2030-2031	वर्ष 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%	
(vi)		2031-2032	वर्ष 2026-27 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%	
(vii)		2032-2033	वर्ष 2027-28 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%	
(viii)	2033-34 से 2039-40 और उसके पश्चात	2033-2034 और उसके पश्चात	पांचवां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (यानी 2028-29) और उसके बाद बाजार में रखी गई बैटरी की न्यूनतम 70% मात्रा	सात वर्ष के अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदर्भ में सात वर्ष की अनुपालन चक्र (7वें वर्ष के अंत) के अंत तक अपशिष्ट बैटरी का 100% संग्रहण और इसका 100% नवीनीकरण या पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा। तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष के बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ग) सारणी में खण्ड (xii) की, के क्रम सं. (xi) के स्तंभ (4) की प्रविष्टियों में, "80%" अंकों के स्थान पर, "70%" अंक रखे जाएंगे।

12. उक्त नियमों के प्ररूप 1(क) के, शीर्षक में, "या नवीकरण" शब्द का लोप किया जाएगा।

13. उक्त नियमों के प्ररूप 1(ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 1(ख)

(नियम 4,11 देखें)

उत्पादकों को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का प्ररूप

संदर्भ: रजिस्ट्रीकरण के लिए आपका आवेदन क्रमांक..... तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या:

मैसर्स---------- को अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022 के उपबंधों के अनुरूप अपशिष्ट बैटरी के उत्पादक के रूप में एक बार रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है। अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022 के उपबंध/उपबंधों का किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक उपबंध लागू होंगे।

(सदस्य सचिव)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड";

14. उक्त नियमों के प्ररूप 1(ग) में,-

(i) शीर्षक में, ''निर्माता द्वारा ईपीआर योजना" शब्दों के स्थान पर, "उत्पादक द्वारा बाज़ार में रखी गई बैटरी के संबंध में विवरणी" शब्द रखें जाएंगे;

(ii) सारणी में क्रम सं. 6 के लिए, -

क. स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"बाज़ार में रखी गई बैटरी का प्रकार, जिसमें ब्रांड नाम और बैटरी की कुल संख्या और भार, साथ ही बैटरी के शुष्क भार सहित, स्वयं उपयोग में लाई जाने वाली बैटरी भी सम्मिलित है";

ख. स्तंभ (3) में, "कुल" शब्द के पश्चात, "संख्या और" शब्द रखे जायेंगे।

15. उक्त नियमों के प्ररूप 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप 3

(नियम 4 देखें)

[अगले वित्तीय वर्ष के जून के 30वें दिन तक उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी]

<table>
<tr><td>1.</td><td>उत्पादक का नाम</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>उत्पादक का रजिस्ट्रीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क ब्यौरे</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम और ई-मेल, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सहित पूरा पता</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.</td><td rowspan="6">बाज़ार में रखी गई बैटरी के संबंध में उस वर्ष के ब्यौरे, जिस पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य की गणना की जाती है</td><td rowspan="2">क्र.सं.</td><td rowspan="2">वित्तीय वर्ष</td><td rowspan="2">बैटरी का प्रकार</td><td colspan="3">बेची गई बैटरी की मात्रा</td></tr>
<tr><td>संख्या</td><td>कुल भार</td><td>बैटरी सामग्री का शुष्क भार</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

5.	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता (बाध्यताओं) और संग्रहित और नवीनीकृत या पुनर्चक्रित बैटरी के ब्यौरे जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है	1.विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता (बाध्यताएं), 2. नवीनीकृत या पुनर्चक्रित बैटरी सामग्री का भार 3. प्राप्त की गई बैटरी सामग्री का भार 4. निपटान के ब्यौरे
6.	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के ब्यौरे	नवीनीकरणकर्ता-वार के अनुसार या पुनर्चक्रणकर्ता प्रमाणपत्रों की संख्या
7.	उपभोग से पूर्व अपशिष्ट बैटरी के ब्यौरे और निपटान के तरीके (पुनर्चक्रण/अंतिम निपटान सहित निपटान के अन्य तरीके)	

टिप्पण: ईपीआर लक्ष्य के अनुपालन में स्वयं उपयोग में लाई जाने वाली बैटरी सम्मिलित है।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

स्थान:

तारीख:"

[फा. सं. 12/36/2019-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST, AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2023

S.O. 4669(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (vii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1), clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 6, section 8, clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Battery Waste Management Rules, 2022, namely:-

1. (1) These rules shall be called the Battery Waste Management (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Battery Waste Management Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (1), —

(a) for clause (c) the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) 'Battery' means new or refurbished cell or Battery, including accumulator, which is any source of electrical energy generated by direct conversion of chemical energy and includes disposable primary or secondary battery;";

(b) in clause (u), for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(iii) import of Battery or equipment containing Battery; or

(iv) manufacture or assembling of Battery or refurbished Battery including in equipment for sale to the Producer mentioned in sub-clause (ii) without its own brand name;".

3. In rule 4 of the said rules, —

(a) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(1) Every Producer shall have the obligation of Extended Producer Responsibility for the Battery that they introduce in the market and the Battery which they put to self-use, to ensure the recycling or refurbishing obligations as per Schedule II;

(2) Every Producer shall have the obligation for environmentally sound management of pre-consumer waste battery generated during manufacturing or assembling or import of a Battery or Battery pack and every Producer shall file the annual returns in Form 3 in respect of pre-consumer waste battery generated in the preceding financial year.

(2A) Every Producer shall meet the collection and recycling and refurbishment targets as mentioned in Schedule II for Battery or Battery pack made available in the market including the Battery which they put for self-use.";

(b) for sub-rules (4) and (5), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(4) Every Producer shall obtain registration from the Central Pollution Control Board through online centralised portal in Form 1(A).

(5) The Central Pollution Control Board on registration of the Producer shall issue a certificate of registration in Form 1(B) to such Producer which shall be valid until it is cancelled or withdrawn.";

(c) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(6) Every Producer shall inform the Central Pollution Control Board of any changes to the information contained in the Extended Producer Responsibility registration.

(6A) In case the Producer stops its operations, the Producer shall have to discharge its Extended Producer Responsibility obligation in respect of Batteries already made available in the market till closure of operations, in accordance with provisions of these rules.";

(d) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(7) The Producer shall furnish a return regarding the Battery manufactured or assembled or imported in the preceding financial year in Form 1(C) to the Central Pollution Control Board on or before the 30th June of every year.";

(e) sub-rule (8) shall be omitted;

(f) after sub-rule (15), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(16) The Producer shall take measures for sustainable production of Battery or Battery pack including in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board.".

4. In rule 8 of the said rules, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(4) The total weight of waste Battery processed by entity involved in refurbishment of waste Battery, on quarterly basis, shall be made available on the portal developed by the Central Pollution Control Board for generation of Extended Producer Responsibility certificates.".

5. In rule 9 of the said rules, —

(a) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) The total weight of waste Battery processed by entity involved in recycling of waste Battery, on quarterly basis, shall be made available on the portal developed by the Central Pollution Control Board.";

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) Recycler shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules.".

6. In rule 10 of the said rules, —

(a) in sub-rule (2), for the words "and shall include Goods and Services Tax data of the entity", the words "based on relevant parameters as prescribed by the Central Pollution Control Board" shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), the words "Central Pollution Control Board will provide for the issuance of such certificates on the online portal" shall be omitted;

(c) sub-rules (4) and (5) shall be omitted;

(d) in sub-rule (6), for the words 'in exchange of Waste Battery", the words "for fulfilling their extended producer responsibility obligations" shall be substituted;

(e) for sub-rules (7) and (8), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(7) The Extended Producer Responsibility certificate for recycler or for refurbisher shall be generated based on the weight of waste Battery processed or refurbished, as the case may be, and weight of Battery material produced as per guidelines of the Central Pollution Control Board and the Central Pollution Control Board shall ensure that every certificate is issued based on the waste Battery processed or refurbished.

(8) No Extended Producer Responsibility certificate shall be generated for the recycling or refurbishment of waste Battery imported under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and separate accounting shall be maintained and reported for recycling or refurbishment of imported waste Battery.";

(f) for sub-rule (9) the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(9) An Extended Producer Responsibility certificate in a category can only be used for off-setting, carry forward and sale for the same category of Battery.";

(g) after sub-rule (14), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(15) One or more trading platform for sale and purchase of Extended Producer Responsibility certificates may be established through agency accredited and in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Central Government.

(16) The operation and regulation of electronic platform (s), so established under sub-rule 15 for trade of Extended Producer Responsibility certificates between obligated entities, shall be as per guidelines notified by the Central Government based on the recommendations of Central Pollution Control Board for the purpose.

(17) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and lowest price for Extended Producer Responsibility certificate every six month or as required, keeping in view the cost for collection and environmentally sound management of waste Battery and the environmental compensation regime in force.".

7. In rule 11 of the said rules, —

(a) in sub-rule (3), after the word "application", the following words shall be inserted, namely:-

"and on the expiry of the said period of two weeks, the registration shall be deemed to be done, if not refused by the Central Pollution Control Board.";

(b) for sub-rules (4) and 5, the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(4) The registration of Producer shall be valid until is cancelled or withdrawn by the Central Pollution Control Board.

(5) The Central Pollution Control Board shall share all relevant information regarding Producer with the State Pollution Control Board through online portal.";

(c) sub-rule (6) shall be omitted;

(d) sub-rule (9) shall be omitted;

(e) for sub-rule (17), the following sub-rule shall be substituted, namely

"Central Pollution Control Board shall issue guidelines for environmentally sound procedures of collection, storage, transportation, refurbishment, and recycling of waste Battery, and for implementation of various provisions of these rules.";

(f) for sub-rule (21), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(21) The Central Pollution Control Board shall prepare an annual report containing information which, *inter alia*, includes the Extended Producer Responsibility targets of Producers, recycling and refurbishment of waste Battery, generation and exchange of Extended Producer Responsibility certificates, and collection and utilisation of environmental compensation and furnish to the Central Government.";

(g) in sub-rule (24), the words, brackets and figures "with respect to sub-rule (4) of rule 10" shall be omitted.

8. In rule 14 of the said rules, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6) Central Government may by order relax timelines under this rules upto nine months for filing of returns by producer, recycler and refurbisher under the rules and modalities for effective implementation of the rules.".

9. In rule 15 of the said rules, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6) The Committee shall meet at least once in six months and submit its report to the Central Government.".

10. In Schedule -I to the said rules, —

(a) in paragraph 1, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) portable Battery that contains up to 0.002% (20 ppm) of cadmium by weight shall only be placed;";

(b) in paragraph 2, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely: —

"(ia) producers shall, on or before the 31st March, 2025, ensure that all Battery or Battery packs produced are appropriately marked with Extended Producer Responsibility registration number issued under rule 4.".

11. In Schedule II to the said rules, —

(a) in clause (v), for the words "as well", the words "in accordance with the allocated target" shall be substituted;

(b) for clause (x), the following shall be substituted, namely: -

"(x) For Electric Vehicles Battery of three wheelers, including E-rickshaw, categories L5, L5-M, L5-N, E-cart as defined under the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the mandatory waste battery collection, recycling or refurbishment targets are as under:—

Table

No.	Compliance cycle	Year	Mandatory Waste Battery collection target and 100% of refurbishment or recycling of the collection target (Weight)	Mandatory Waste Battery collection target, and 100% refurbishment and/or recycling target for every seven year cycle (Weight)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)	2026-27 till 2032-33	2026-2027	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2021-22.	Collection of 100% Waste Battery and of 100% of refurbishment or recycling shall be mandatory by end of seven year compliance cycle (end of 7th year) against the Battery placed in the market during seven year compliance cycle. However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the seven year cycle to the next compliance cycle.
(ii)		2027-2028	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2022-23.	
(iii)		2028-2029	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2023-24.	
(iv)		2029-2030	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2024-25.	
(v)		2030-2031	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2025-26.	
(vi)		2031-2032	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2026-27.	
(vii)		2032-2033	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2027-28.	
(viii)	2033-34 till 2039-40 and onwards	2033-2034 and onwards	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in the 5th preceding financial year (i.e. 2028-29) and onwards	Collection of 100% Waste Battery and of 100% of refurbishment or recycling shall be mandatory by end of seven year compliance cycle (end of 7th year) against the Battery placed in the market during seven year compliance cycle. However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the seven year cycle to the next compliance cycle.

(c) in clause (xii), in the table, against Sl.No. (xi), in column (4), in the entries, for the figures "80%", the figures "70%" shall be substituted.

12. In Form 1(A) of the said rules, in the heading, the words "or renewal" shall be omitted.

13. For Form 1(B) of the said rules, the following Form shall be substituted, namely:—

"Form 1(B)

(see rules 4, 11)

FORMAT FOR GRANT OF REGISTRATION TO PRODUCERS

Ref.: Your application number for registration dated ……...…….

Registration No.: …….

M/s---------- is hereby granted one-time registration as Producer of waste Battery in line with provisions under Battery Waste Management Rules, 2022. Any violation of the provision(s) of the Battery Waste Management Rules, 2022 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)

Central Pollution Control Board";

IndiaCode

14. In Form 1(C) of the said rules,—

(i) in the heading, for the words "Extended Producer Responsibility plan", the words "return regarding Battery placed in market" shall be substituted;

(ii) in the Table, against Sl. No. 6, —

A. in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: —

"Type of Battery placed in the market, including the Battery put to self-use, with brand name and the total number and weight of the Battery, as well as dry weight of Battery";

B. in column (3), after the words "total" the words, "number and" shall be substituted.

15. For Form 3 of the said rules, the following Form shall be substituted, namely: —

"Form 3

(see rule 4)

[Annual returns to be submitted by Producer by 30th day of June of the following financial year]

1.	Name of Producer	
2.	Registered address of Producer, website address and contact details	
3.	Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number	

<table>
<tr><td rowspan="5">4.</td><td rowspan="5">Details of Battery placed in the market of the year, on which Extended Producer Responsibility target is calculated</td><td>Sl.No.</td><td>Financial Year</td><td>Type of Battery</td><td colspan="3">Quantity of Battery sold</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>No.</td><td>Total weight</td><td>Dry weight of Battery material</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Details of Extended Producer Responsibility obligation(s) and the Battery collected and refurbished or recycled for which the return is being filed</td><td colspan="7">1.Extended Producer Responsibility obligation(s),
2.Weight of Battery material refurbished or recycled
3. Weight of Battery material recovered
4. Details of disposal</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Details of Extended Producer Responsibility certificates</td><td colspan="7">No. of certificates recycler or refurbisher-wise</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Details of pre-consumer waste battery and ways of disposal (recycling/other ways of disposal including final disposal)</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

Note: EPR target compliance includes Battery put to self-use.

Signature of the authorised person:

Place:
Date:".

[F. No. 12/36/2019-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.26 20:32:36 +05'30'